संख्या–1519 / पॉच–6–12–266(जी) / 11

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–6 लखनऊः दिनॉकः **11** दिसम्बर, 2012

विषयः–उ0प्र0 राज्य कार्मिकों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु लीवर प्रत्यारोपण पर होने वाले व्यय की दरों के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उ0प्र0 राज्य के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके आश्रितो को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या–2275 / 5–6–11–1082 / 87, दिनांक 20.09.2011 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 20.09.11 में उ0प्र0 राज्य के कार्मिकों द्वारा कराये जा रहे लीवर प्रत्यारोपण संबंधी उपचार हेतु कोई स्पष्ट प्राविधान न होने तथा लीवर प्रत्यारोपण की व्यवस्था वर्तमान में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज एण्ड रिसर्च, लखनऊ में तथा प्रदेश के बाहर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में उपलब्ध न होने के कारण आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ से लीवर प्रत्यारोपण पर होने वाले व्यय की सूचना के आधार पर लीवर प्रत्यारोपण पर होने वाले व्यय हेतु निम्नलिखित सीमा तक प्रतिपूर्ति किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

सम्पूर्ण पैकेज	रू0 **14,00,000/-**
इसमें सम्मिलित है–	
1. प्रत्यारोपण कराने वाले रोगी की आपरेशन से पूर्व की जांच	रू0 50,000/-
2. प्रत्यारोपण कराने वाले रोगी की आपरेशन से पूर्व स्वास्थ्य तैयारी	रू0 2,00,000/-
3. लीवर दान करने वाले व्यक्ति की जॉचे आदि	रू0 50,000/-
4. आपरेशन हेतु रक्त की जॉचे तथा रक्त अवयव का मूल्य	रू0 50,000-1,00,000/-
5. प्रत्यारोपण आपरेशन का पैकेज	रू0 10,00,000/-

उक्त में चार सप्ताह की रोगी की भर्ती फीस और 15 दिन का डोनर का भर्ती शुल्क औषधियों तथा अन्य सर्जिकल सामग्री का खर्च, आपरेशन थिएटर, बेहोशी आदि का शुल्क चिकित्सालय शैय्या शुल्क तथा आई0सी0यू0 भर्ती शुल्क एवं दो बार आवश्यक पेट के आपरेशन का शुल्क सम्मिलित है।

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित जांच, उपचार, उपचारोत्तर फालो–अप आदि पर जो भी धनराशि व्यय हो, उसे वास्तविक व्यय के आधार पर अनुमन्य किया जाय :–

उक्त अवधि के अतिरिक्त जो भी खर्चे होगें उनका शुल्क बेड की कैटेगरी के अनुसार अग्रिम जमा करना पड़ेगा। रूटीन इम्यूनो सप्रेशन शुल्क भर्ती अवधि में सम्मिलित रहेगा। (आई एल रिसेप्टर ब्लाक–2) इसके अतिरिक्त अन्य इम्यूनो सप्रेसिव औषधियों का खर्च अलग से देना होगा (वैसीलिक्सीमैव, उैक्लीज्यूमैव, ए0टी0जी0, एच0बी0आई0जी0, पेजइन्टरफेरान यदि आवश्यकता हुई तो अलग से देय शुल्क देय होगा)।

उक्त अवधि में रक्त एवं रक्त अव्यय की आवश्यकता पड़ने पर रू0 50,000/– से रू0 1,00,000/– का खर्च वास्तविक खर्च के अनुसार देय होगा।

लीवर डायलिसिस आपरेशन से पूर्व अथवा आपरेशन के पश्चात आवश्यकता पड़ने पर रू0 2,00,000/– के खर्च पर अलग से देय होगा।

उक्त खर्चे में मेन्टीनेन्स इम्यूनो सप्रेसिव औषधियों का खर्च सम्मिलित नहीं है। उनकी खुराक रोगी के वजन के अनुसार तय की जाती है, का खर्च अतिरिक्त देय होगा।

2– अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में लीवर प्रत्यारोपण की व्यवस्था तथा उस पर होने वाले व्यय की दरों का जब तक निर्धारण नहीं हो जाता है, तब तक प्रदेश के बाहर कराये गय उपचार पर संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज एण्ड रिसर्च, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपरोक्त दरों के अनुसार चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–जी–(2)–927/दस–12, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1519 (1)/5–6–12 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0
4. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
8. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
9. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पुरूष/महिला) जिला चिकित्सालय, उ0प्र0।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
12. शासन के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0एस0 परिहार)
अनु सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 7 सा0 चिकित्सा–14–1–2013–(3180)–2000+2 प्रतियां (आफसेट)।